

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सबलगढ़,  
जिला-मुरैना

प0 क0/34/17-18/अ-82/भू-अर्जन/उ0म0र0

मुरैना दिनांक 26/06/2020

// सूचना-पत्र //

(भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के अन्तर्गत)

उप मुख्य अभियंता, (निर्माण)

उत्तर मध्य रेलवे ग्वालियर म.प्र.

बनाम

कम्मोदा बेबा बलवंत गणपति लालपति बनवाशी देवीलाल  
आदि।

ग्राम- खोह तहसील सबलगढ़ व जिला मुरैना

द्वारा:- तहसीलदार परगना सबलगढ़ जिला मुरैना

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है) की धारा 21(1) के अन्तर्गत।

जरिये सूचना आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम खोह तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे कमांक व प्रस्तावित रकबा अनुसार अपासकीय भूमि को प्रस्तावित छोटी रेलवे लाईन से बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आपय है अतः भू-अर्जन, अधिनियम 2013 (2013 संख्याक 30) की धारा 21(1) के अन्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपसे संबंधित सर्वे कमांक के संबंध में अपना हित, प्रतिकर के दावे का हक का भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है। तदनुसार निम्न तालिका में भू-अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है, जिस हेतु प्रतिकर मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान, का अधिनिर्णय प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति हो तो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात् दिनांक 27.07.2020 तक इस न्यायालय में स्वयं/अभिकर्ता/अभिपासक के माध्यम से उपसंजात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ कलेक्टर एवं भू अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा मुरैना/उप मुख्य इन्जीनियर निर्माण उ0म0 रेलवे ग्वालियर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अंतिम

तिथि दिनांक 27.07.2020 पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा।

क्र. सं.	राजस्व वृत्त/पटवारी हल्का/ग्राम/तहसील एवं जिले का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का अर्जित रकबा है. मे		
			सिंचित	असिंचित	कृषि गिन्न
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व वृत्त- /पटवारी हल्का- /ग्राम-खोह /तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना				
1		59	0.153	निरंक	कृषि
2		64	0.291	निरंक	कृषि
3		65	0.104	निरंक	कृषि
4		66	0.326	निरंक	कृषि
5		67	0.004	निरंक	कृषि
6		69	0.530	निरंक	कृषि
7		70	0.050	निरंक	कृषि
8		71	0.058	निरंक	कृषि
9		72	0.280	निरंक	कृषि
10		73	0.140	निरंक	कृषि
11		73/86 5	0.008	निरंक	कृषि
12		77	0.260	निरंक	कृषि
13		78	0.449	निरंक	कृषि
14		80/1	0.230	निरंक	कृषि
15		80/2	0.373	निरंक	कृषि
16		81	0.130	निरंक	कृषि
17		82/1	0.260	निरंक	कृषि
18		82/2	0.490	निरंक	कृषि
19		83	0.0710	निरंक	कृषि
20		84/मि	0.226	निरंक	कृषि

	न 1			
21	84 / मि न 2	0.015	निरंक	कृषि
22	86	0.070	निरंक	कृषि
23	87	0.420	निरंक	कृषि
24	88	0.240	निरंक	कृषि
25	89	0.140	निरंक	कृषि
26	91	0.240	निरंक	कृषि
27	92	0.364	निरंक	कृषि
28	93	0.021	निरंक	कृषि
29	94	0.348	निरंक	कृषि
30	96	0.155	निरंक	कृषि
31	98	0.320	निरंक	कृषि
32	100	0.550	निरंक	कृषि
33	101	0.011	निरंक	कृषि
34	102	0.228	निरंक	कृषि
35	103	0.380	निरंक	कृषि
36	105	0.518	निरंक	कृषि
37	107	0.231	निरंक	कृषि
38	108	0.500	निरंक	कृषि
39	109	0.350	निरंक	कृषि
40	110	0.250	निरंक	कृषि
41	111	0.036	निरंक	कृषि
42	112	0.330	निरंक	कृषि
43	113	0.093	निरंक	कृषि
44	114	0.722	निरंक	कृषि
45	115	0.027	निरंक	कृषि
46	117	0.440	निरंक	कृषि
47	118	0.580	निरंक	कृषि
48	119	0.690	निरंक	कृषि
49	123	0.299	निरंक	कृषि
50	124	0.183	निरंक	कृषि

		125	0.176	निरंक	कृषि
51		127	0.011	निरंक	कृषि
52		128	0.636	निरंक	कृषि
53		129	0.080	निरंक	कृषि
54		130	0.070	निरंक	कृषि
55		132	0.074	निरंक	कृषि
56		133	0.020	निरंक	कृषि
57		137	0.003	निरंक	कृषि
58		157	0.365	निरंक	कृषि
59		159	0.230	निरंक	कृषि
60		161	0.136	निरंक	कृषि
61		162	0.421	निरंक	कृषि
62		165	0.271	निरंक	कृषि
63		167	0.140	निरंक	कृषि
64		169	0.158	निरंक	कृषि
65		177	0.025	निरंक	कृषि
66		178 / 1	0.113	निरंक	कृषि
67		178 / 2		निरंक	कृषि
68		182	0.133	निरंक	कृषि
69		183	0.049	निरंक	कृषि
70		279	0.004	निरंक	कृषि
71		285	0.013	निरंक	कृषि
72		289	0.006	निरंक	कृषि
73		291	0.042	निरंक	कृषि
74		293	0.140	निरंक	कृषि
75		294	0.213	निरंक	कृषि
76		295	0.018	निरंक	कृषि
77		296	0.069	निरंक	कृषि
78		297	0.048	निरंक	कृषि
79		300	0.108	निरंक	कृषि
80		302	0.074	निरंक	कृषि
81					

कुल किता 81

17.030

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू अर्जन मूल्यांकन कार्य का प्रारंभिक प्रस्ताव, वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावपील भूमि के वास्तविक मूल्य मार्ग दर्शक विवरण के अनुसार की जावेगी अधिनिर्णय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकगण/हितवद व्यक्ति को प्रत्येक में प्रेषित कराई जावेगी।

इस न्यायालय से फदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 26.06.2020 को जारी किया गया

स्थान : सबलगढ़

तारीख : 26.06.2020

अनुविभागीय अधिकारी

एवं

भू-अर्जन अधिकारी सबलगढ़ जिला मुरेना

पृष्ठांकन क्र० 34 /अ-82/भू-अर्जन/उम090/2018/ दिनांक : 26 / 06 / 2020  
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-मुरेना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़, जिला-मुरेना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
3. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचना हेतु।
4. तहसीलदार, परगना सबलगढ़ की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, सबलगढ़ संबंधित पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/वसूला करने एवं जमान में सूचना उपरोक्त तामीली प्रति भेजने हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरेना की ओर कलेक्टर, जिला-मुरेना (मुद्रित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिंग वेबसाईड पर अपलोड हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी

एवं

भू-अर्जन अधिकारी सबलगढ़ जिला मुरेना

